परिवार में महिलाएं: सामाजीकरण एवं लैंगिक भूमिका

पारिवारिक व्यवस्था विकल्पहीन है क्योंकि उत्पादन, पुनरुत्पादन, स्नेही देखभाल, भावनात्मक वातावरण में निवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था अन्य किसी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। परन्तु महिलाओं के लिए परिवार वह स्थान है जहाँ उन्हें सुरक्षा-देखभाल के साथ-साथ अनेक तनाव भी मिलते हैं। अनेकों उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं का शोषण स्थल उनका परिवार रहा है। अमर्त्य सेन के अनुसार परिवार में "सहयोग एवं संघर्ष" का सह-अस्तित्व होता है।

विश्व के सभी समाजों में अधिकतर पितृसत्तात्मक व्यवस्था विराजमान है। इस व्यवस्था में विद्यमान विशेषताएं ही महिला को दोयम दर्जा प्रदान करती है—

पहली विशेषता के अनुसार पितृसत्तात्मक समाज में बच्चों की सामाजिक पहचान अपने पिता से होती है और पिता के वंश (कुटुम्ब) में वे स्थान पाते हैं। परन्तु लड़का इस इकाई का स्थायी सदस्य होता है जबकि लड़की (बेटी) अस्थायी सदस्य। बेटा पितृवंश की निरन्तरता को बनाए रखने वाला होता है जबकि बेटी का बेटा अपने पिता के वंश को बढ़ाता है। अस्थायी सदस्य होने के कारण बेटी विवाह के बाद थोड़े समय के लिए ही अपने पिता के घर ठहर सकती है।

दूसरी विशेषता उत्तराधिकार के नियम एवं संसाधनों के वितरण की है। पुरुष संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और पिता से पुत्र को ही संपत्ति का हस्तांतरण होता है। परम्परागत कानून के अनुसार बेटियों को केवल भरण-पोषण

और विवाह का अधिकार है।

नवीन कानून के अनुसार यद्यपि बेटी को भी बेटे के समान पारिवारिक एवं पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है परन्तु सामाजिक मान्यता अभी भी इसके विरुद्ध है क्योंकि इसकी जड़ इस विश्वास में है कि बेटी बाहरी है अगर उसे अधिकार दिया जाएगा तो सम्पत्ति किसी दूसरे परिवार में चली जाएगी।

पितृसत्तात्मक समाज की एक अन्य विशेषता उनके निवास स्थान का तरीका है। भारत में आदर्श परिवार पितृवंशीय पितृस्थानीय है, जिसके सदस्य आपस में जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य बाँटते हैं। परिवार के वयोवृद्ध कर्ता ही परिवार के सम्पत्ति के या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय देते हैं। चौका चूल्हा परिवार की वयोवृद्ध महिला द्वारा संभाला जाता है, साथ ही उसका कार्य परिवार की अन्य छोटी महिलाओं को नियंत्रित करना होता है।

विवाह के बाद नवविवाहित दुल्हन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के इस संगठन में प्रवेश करती है। आवास का यह परिवर्तन अक्सर पीड़ादायक होता है। पति के परिवार के लिए वह बाहरी होती है यद्यपि उसको शामिल करने के लिए कई धर्मानुष्ठान किए जाते हैं। बेटे को जन्म देने के बाद ही वह परिवार की सदस्य बन पाती है। इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लीला दुबे लिखती हैं कि "नए घर में दुल्हन का रहना कुछ शर्तों पर निर्भर है, उचित व्यवहार, घरेलू काम में उसकी दक्षता, अन्य सदस्यों से सौहार्दपूर्ण सबंध, परिवार के बड़े जनों की सेवा, पति को सुख-आराम देना एवं जो उपहार वह मायके से लायी है और संभवतः उसकी कमाई

पर भी ससुराल का पूरा अधिकार होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि लड़की स्वामी-ससुराल से अलग ही जाए, वजह होगी या नहीं दोनों हो सकती है।"

दामाद का अपने पत्नी से दब सकना बहुत अपमानजनक और अप्रतिष्ठाजनक माना जाता है। पितृसत्तात्मक मूल्य संरचना के परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ता है — जैसे कि दहेज उत्पीड़न, कलह और पृथकता का सहना, अवांछित गर्भ धारण, बच्चों की परवरिश को लेकर संघर्ष और दिन-प्रतिदिन के अत्याचार।

लैंगिक संवाद

Women Studies academy के अनुसार परिवार एक समरूप समूह नहीं है, जहां सभी सदस्य समान परिस्थिति, संसाधनों के विषय में समान लाभ, प्रशिक्षण, अवसर और अधिकार प्राप्त करते हैं। पारिवारिक सदस्यों का, विशेषकर लड़कियों का समाजीकरण उन्हें महिला बनाने के लिए तैयार करता है ताकि वे स्वयं ही परिवार में अपनी द्वितीयक भूमिका स्वीकार कर लें। लीला दूबे के अनुसार समाजवैज्ञानिकों ने "लैंगिक समाजीकरण" पर अपर्याप्त ध्यान दिया है। सिमोन द बोउवार के अनुसार "औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है, इसका पूरी तरह संगठित संचालन करते हैं।" लीला दूबे के अनुसार "यह अपने दिमाग में रखना चाहिए कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, प्रायः निरपवाद रूप से लिंग विभिन्नता का यह अर्थ समझा जाता है कि इसकी जड़ें जीव-विज्ञान में हैं, "जैसे प्रकृति के नियमानुसार चल रहा है।" वे इस विचार के साथ बड़ी होती हैं कि वे परिवार की अस्थायी सदस्य हैं। लड़कियों के द्वारा कई धार्मिक कृत्य, व्रत, अनुष्ठान

आदि के पीछे "अच्छा वर" पाने का सामाजिक विश्वास होता है।

परिवार में लड़कियों को भविष्य की भूमिका के लिए समाजीकृत ही नहीं करते वरन् यह प्रक्रिया बेटे और बेटी के मध्य भी विभेद करती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मानना है कि "मूल्य सिद्धांत का परंपरागत आदर्श और बाजार व्यवहार, परिवार के विषय में मौन है।" भारत में अकाल, गरीबी और लिंग-स्त्री-पुरुष अनुपात पर सेन ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। उन्होंने सम्पूर्ण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अस्वास्थ्य दर को ज्यादा पाया, विशेषकर गन्दी बस्तियों में। सेन के अनुसार आय के साथ ही स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार होता है परन्तु पुरुषों की श्रेष्ठता महिलाओं की तुलना में कायम रहती है। वास्तव में करीब-करीब जीवन के प्रत्येक पहलू में लैंगिक मनोवृत्ति दिखती है।

यौन दुर्व्यवहार, परिवार में लैंगिक भेद का जिक्र करते समय घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, दहेज हत्या जैसे अपराधों का जिक्र आवश्यक है। महिला संगठनों ने अनुभव किया कि हिंसा, खासतौर पर यौन हिंसा, महिला के ऊपर पितृसत्तात्मक सत्ता के अधिकार को बनाए रखने की अभिव्यक्ति के रूप में है। समाज में महिला हिंसा के प्रति 'मौन संस्कृति' विद्यमान है जो महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने से रोकती है। यद्यपि बदलते समय के साथ समाज में अनेक परिवर्तन आ रहे परन्तु अभी बहुत कुछ होना शेष है।

Scanned by CamScanner